प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **02/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

Ramsingh Rajawat Add: 38 Sirasya, Lasadia, Phagi, Sanganer, Jaipur

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बड़गांव, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 01-04-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 03.11.2024 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रदान नहीं किये जाने, छोटी सूचना दिये जाने एवं पत्रावली अन्यत्र होने का हवाला दिये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/02/25 /05–06 दिनांक 07.01.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बड़गांव ने जरिये पत्रांक सू.अ./2025/17 दिनांक 14.01.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर इस न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन संख्या 329922886731876 द्वारा सूचना चाही गई थी जो होटल रिसोर्ट, फार्म हाउस की संपरिवर्तन की पत्रावली की मूल पत्रावली उच्च स्तर के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। तहसील कार्यालय में केवल फोटो प्रति ही उपलब्ध रहती है। प्रार्थी को ऑनलाईन के माध्यम से ही निर्धारित अवधि में सूचना के लिए प्रत्युत्तर भिजवा दिया गया था। श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रथम अपील को निस्तारित करने का श्रम करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया अपीलार्थी द्वारा चाही सूचना का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2018 से 2024 तक तहसील बड़गांव में होटल, रिसोर्ट फार्म हाउस के संपरिवर्तन के संबंध में सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में विशिष्टियों का अंकन नहीं किया जाकर अत्यधिक विस्तृत सूचना चाही गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपेक्षित है कि मांगी गई सूचना विशिष्ट, स्पष्ट एवं संक्षिप्त हो जिससे संबंधित लोक सूचना अधिकारी उसे यथासंभव समय में उपलब्ध करवा सके। अपीलार्थी द्वारा मांगी गई सूचना अत्यधिक व्यापक एवं अस्पष्ट होने के कारण सूचना प्रदान करना व्यवहारिक एवं न्यायोचित नहीं है। इतनी लम्बी अवधि की सूचना कार्यालय के समस्त रिकार्ड से स्पष्ट विवरण के बिना मांगा जाना तर्कसंगत एवं उचित प्रतीत नहीं होता है।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। यदि अपीलार्थी को कोई विशिष्ट सूचना चाहिए तो वह सूचना के संबंध में विशिष्टियों का अंकन करते हुए संबंधित लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर सूचना प्राप्त कर सकता है।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01-04-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर